न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थी :–

1. ओमाराम पुत्र मोहनराम भांबी
2. महादेव पुत्र मोहनराम भांबी
   निवासी पालड़ी कड़वा

तहसीलदा, परबतसर

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमां नम्बर :– 2021/221 निर्णय दिनांक :– 21.02.2022

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पालड़ी कड़वा के खसरा नम्बर 429 रकबा 1.14 हैक्टयर, 435 रकबा 1.13 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का नाम औमाराम व महादेव है अन्स सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम इसी प्रकार दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में औमाराम का नाम उमाराम व महादेव का नाम मादूराम गलत दर्ज चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को इसकी जानकारी होने पर हल्का पटवारी को करने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना करना पड़ा रहा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम पालड़ी कड़वा के खसरा नम्बर 429 रकबा 1.14 हैक्टयर, 435 रकबा 1.13 हैक्टयर भूमि में दर्ज उमाराम व मादूराम के स्थान पर औमाराम व महादेव दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण में कोई राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का विवेचन किया गया।

3. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2074–77 पेश की है जिसमें अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थीगण की भी खातेदारी दर्ज है जिसमें उमाराम पुत्र मोहनराम 1/40 हिस्सा व मादूराम पुत्र मोहनराम 1/40 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम महादेव पुत्र मोहनराम तथा प्रार्थी 1 का नाम औमाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मोहनराम दर्ज है, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड , आदि में भी इसी प्रकार नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसमें पिता मोहनराम का स्वर्गवास हो जाने बाद फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण का घर पर बोलता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह सही है कि पूर्व में घर पर बोलता नाम बिना दस्तावेजो के दर्ज कर दिया जाता था। वर्तमान में सम्पूर्ण कार्य ऑनलाई हो जाने से राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड से ही होता है जिससे प्रार्थीगण का नाम दस्तावेजो के अनुरूप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालड़ी कड़वा के खसरा नम्बर 429 रकबा 1.14 हैक्टयर, 435 रकबा 1.13 हैक्टयर भूमि में दर्ज उमाराम, मादूराम पि. मोहनराम के स्थान पर औमाराम, महादेव पि. मोहनराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर